

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(29)राज/वाद/19पार्ट-7

जयपुर, दिनांक 13/11/2021

:: आदेश ::

श्री नवरतन अग्रवाल, विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 सं02, पाली की सेवा अवधि में दिनांक 24.09.20 से दिनांक 30.09.21 तक एतद् द्वारा वृद्धि की जाती है।

आज्ञा से


५०

(मधुसूदन शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 विशेषाधिकारी (जीएसवाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 7 जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पाली।
- 8 संबंधित न्यायालय।
- 9 जिला कलक्टर, पाली।
- 10 कोषाधिकारी, पाली।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 13 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 14 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 15 रक्षित पत्रावली।



(मधुसूदन शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण